

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 618/14

संस्थापन दिनांक:-15/09/14

फाईलिंग नं. 233504002322014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. राजेश पिता इट्ठू गीते, उम्र 35 वर्ष
 2. गोविंदराव पिता इट्ठू गीते, उम्र 42 वर्ष
 3. गोलू पिता गोविंदराव गीते, उम्र 27 वर्ष
- सभी निवासी जम्बाड़ा, थाना आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 30.08.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 10.07.2014 को समय सुबह करीब 07:00 बजे ग्राम जम्बाड़ा लोहार मोहल्ला प्रार्थिया के घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी मालताबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी मालताबाई को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी मालताबाई को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 10.07.2014 को सुबह करीब 7 बजे उसके घर पर थी। उसकी बकरी छूटकर राजेश के घर चली गयी थी। जब वह उसकी बकरी लाने गयी तो अभियुक्तगण उसे मां बहन की गंदी गंदी गालिया देकर हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगे। अभियुक्तगण ने उसे बाल पकड़कर गिरा दिया। मारपीट से उसे पीठ, हाथ, सिर में अंदरूनी चोटें आयी। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 524/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा

बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी मालताबाई को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 भावना (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी भावना (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय उसकी मां को गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में भावना (अ.सा.-4) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी भावना (अ.सा.-4) ने अभियुक्तगण द्वारा उसकी मां को जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा०दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 मालता (अ.सा.-1) ने अभियुक्तगण राजेश, गोविंदराव एवं गोलू के द्वारा उसे मारपीट करना तथा मारपीट से कमर, पीठ और सिर में चोट आना बताया है। भावना (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसकी मां के साथ पिटाई किये थे और उसने जब बीच में बोला तो उसे भी थप्पड़ मारा था।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 10.07.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत मालता का परीक्षण किये जाने पर आहत के शरीर पर कोई चोटें नहीं पायी थी परंतु आहत की पीठ, सिर और दाहिने हाथ में दर्द था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) को प्रमाणित किया है।

10 मंगलमूर्ति (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 10.07.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 524/14 की केस डायरी प्राप्त होने पर दिनांक 13.07.2014 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तथा दिनांक 14.08.2014 को अभियुक्त राजेश एवं गोविंद को तथा दिनांक 31.08.2014 को अभियुक्त गोलू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में स्वयं फरियादी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। साथ ही अभियोजन साक्षी मालताबाई एवं भावना के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है जो अभियोजन कथा को संदेहास्पद करते हैं। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में मालताबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना सुबह 10 बजे की उसके घर की है। उसकी बकरी का बच्चा अभियुक्तगण के घर तरफ चला गया था, वह लेने के लिए गयी थी तभी अभियुक्तगण ने उसे मारा था। भावना (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि वह घटना के समय स्कूल जाने के लिए निकल रही थी। अभियुक्तगण उसकी मां के साथ मार पीटाई कर रहे थे। उसने कहा कि मेरी मां को क्यों मार रहे हो तो अभियुक्तगण ने उसे भी एक थप्पड़ मार दिया और उसकी मां के उपर मिट्टी का तेल भी डाल दिया था।

13 मालताबाई (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे घटना का दिन, तारीख और समय याद नहीं है। **उसका झगड़ा सरिता और फुल्लोबाई के साथ हुआ था। उन्होंने ही घर में घुसकर मारा था।** पुनः से साक्षी ने सुझाव दिये जाने पर यह बताया है कि घटना के दिन सरिता और फुल्लो ने ही उसके साथ मारपीट की थी। इसके अलावा किसी अन्य ने मारपीट नहीं की थी। यह भी बताया है कि उसकी बकरी अभियुक्तगण के घर में चली गयी थी उसकी के उपर से विवाद हुआ था। भावना (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि उनके घर की बकरी सरिता एवं फुल्लो के घर पर चली गयी थी इसी कारण विवाद हुआ था। स्वतः में साक्षी ने कहा कि एक पावली जगह को लेकर विवाद चल रहा है उसी विवाद की रिपोर्ट हुई थी। बकरी के विवाद को लेकर कोई घटना नहीं हुई थी।

14 मालताबाई (अ.सा.-1) एवं भावना (अ.सा.-4) के कथनों में अत्यन्त विरोधाभास है। दोनों ही साक्षी परस्पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। साक्षी मालताबाई ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं साथ ही साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त राजेश, गोविंदराव एवं गोलू के द्वारा मारपीट न किया जाना बताते हुए सरिता एवं फुल्लो के द्वारा मारपीट

किया जाना बताया है। इस तरह से इस साक्षी ने एक नई कहानी अपने कथनों में बतायी है। साक्षी ने विवाद बकरी के उपर से होना बताया है। जबकि उसकी बेटी भावना ने विवाद जगह को लेकर होना बताया है। फरियादी मालताबाई (अ. सा.-1) स्वयं अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा मारपीट न करना बताते हुए अन्य व्यक्तियों द्वारा मारपीट करना बताया है। तब ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन कथा अत्यन्त संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

15 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी मालताबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी मालताबाई को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी मालताबाई को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण राजेश, गोविंदराव एवं गोलू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)